यह निरीक्षण आख्या कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी रामनगर जनपद नैनीताल के माह 11/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार की गई है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी रामनगर जनपद नैनीताल के अवधि की माह 11/2012 से 02/2019 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन श्री डी॰के॰मट्टू, श्री प्रहलाद सिंह सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06/03/2019 से 11/03/2019 तक श्री राम सनेही लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग-I

परिचयात्मकः इस इकाई की प्रथम लेखापरीक्षा है |

1. (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र-** उप शिक्षा अधिकारी द्वारा विकास खंड मे संचालित विद्यालयों का निरीक्षण अनुश्रवण करना है। वर्तमान मे उप-शिक्षा अधिकारी का कार्यालय राम नगर जनपद नैनीताल स्थित हैं |

(i) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(धनराशि रु. में)

वर्ष	**आवंटन**		**व्यय**		**बचत /अभ्यर्पण**	
	स्थापना	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**	**स्थापना**	**गैर स्थापना**
2015-16	3501590	134000	3497087	133924	4503	76
2016-17	3066529	80350	3065529	80100	1000	250
2017-18	1475000	121100	1305290	114200	169710	6900
2018-19 Ex 02/19तक	3428492	210237	3412445	145218	-	-

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

---------- शून्य ----------

(ii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार द्वारा किया जाता हैं। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई की श्रेणी (सी) है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

महानिदेशक

↓

निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

↓

अपर निदेशक(माध्यमिक शिक्षा)

↓

मुख्य शिक्षा अधिकारी

↓

जिला शिक्षा अधिकारी(प्रा°शि°)

↓

उप-शिक्षा अधिकारी

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी रामनगर जनपद नैनीताल की लेन देन की लेखापरीक्षा को आच्छादित किया गया है । समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी रामनगर जनपद नैनीताल की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2014,11/2017,02/2019 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया उक्त माहों का विस्तृत विश्लेषण किया गया। प्रतिचयन सर्वाधिक व्यय के आधार पर किया गया।

(vi) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13, लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- अधिवर्षिता तिथि के पश्चात सेवा विस्तार की अवधि में वेतन वृद्धि का अदेय लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रुपये 51,636 का अधिक भुगतान।

नियमानुसार शैक्षिक सत्र पूर्ण किए जाने से पूर्व अधिवर्षिता की तिथि पर सेवा निवृत होने वाले शिक्षकों को, छात्रहित ध्यान में रखते हुये, शैक्षिक सत्र पूर्ण किये जाने हेतु सामान्यतः (31 मार्च) की अवधि तक सेवा विस्तार दिया जाता है । शैक्षिक सत्र पूर्ण होने की तिथि (31 मार्च) तक सेवा विस्तार प्राप्त शिक्षकों को उनकी वास्तविक सेवा निवृति की तिथि (अधिवर्षिता की तिथि) पर देय वेतन के आधार पर ही सेवा निवृत लाभ प्रदान किए जाने प्रावधानित हैं।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी रामनगर, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, शैक्षिक सत्र पूर्ण होने की तिथि (31 मार्च) तक सेवा विस्तार प्राप्त शिक्षकों को अधिवर्षिता पर सेवा निवृत होने वाले सेवा लाभों से इतर वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान की गई जिसके कारण संलग्न सूची में उल्लिखित शिक्षकों को एक वेतन वृद्धि का अदेय लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रुपये 51,636 की धनराशि का अधिक भुगतान किया गया । जवकि अधिवर्षिता की तिथि के पश्चात सेवा विस्तार की अवधि में किसी भी प्रकार की वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान किया जाना प्रावधानित नहीं था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वतः स्वीकार किया गया और कहा गया कि नियमों कि जानकारी के अभाव में सेवा विस्तार की अवधि में वेतन वृद्धि प्रदान की गईं।

अतः अधिवर्षिता तिथि के पश्चात सेवा विस्तार की अवधि में वेतन वृद्धि का अदेय लाभ दिये जाने के फलस्वरूप रुपये 51,636 के अधिक भुगतान का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-2- आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु संस्तुति प्रेषित किया जाना ।

उत्तराखण्ड शासन, शिक्षा अनुभाग-1 (बेसिक) के शासनादेश संख्या 623/XXIV/(1) / 2013-R-467 /2011 दिनांक 27 जून 2013, के विषय :- उत्तराखण्ड निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली 2011, के प्रख्यापन के उपरान्त अशासकीय पूर्व माध्यमिक (जूनियर हाईस्कूल) प्राथमिक /नर्सरी विद्यालयों की मान्यता शर्तों के सम्बन्ध में, के बिन्दु (6) मान्यता के मानक (ख) आधारभूत संरचना (1) भवन – विद्यालय सोसाइटी को आवश्यकतानुसार उपयुक्त निजी भवन होने अथवा कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर उपलब्ध होने पर ही मान्यता के लिए विचार किया जाएगा। किरायानामा विधिवत पंजीकृत होना एवं विद्यालय की वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होना आवश्यक है । साथ ही विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र में (छ) अन्य सुविधाएं 1-11 के अनुसार अग्नि से बचाव की व्यवस्था भी आवश्यक है।

कार्यालय उप शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि.) रामनगर, नैनीताल के अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि, किराए के विद्यालय भवनों का कम से कम 10 वर्ष की अवधि के लिए किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं था, तथा विद्यालय की मान्यता हेतु स्वघोषणा-सह–आवेदन पत्र के अनुसार आवश्यक अग्नि से बचाव की व्यवस्था का प्रमाण पत्र किसी मान्यता प्राप्त अग्निशमन अधिकारी द्वारा निर्गत संलग्न नहीं पाये गए । तदनुसार मान्यता हेतु आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु संस्तुति की गई। अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु संस्तुति किए जाने के दौरान, अग्नि से बचाव की व्यवस्था की अनदेखी किए जाने से जहां एक ओर विध्यार्थियों की जान जोखिम में डाली गई वहीं दूसरी ओर विद्यालय भवनों का किराए /लीज पर किरायानामा विधिवत पंजीकृत नहीं कराये जाने के फलस्वरूप पंजीकरण शुल्क का अदेय लाभ विद्यालय प्रवंधनों को दिये जाने से शासकीय राजस्व की हानि भी हुई ।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर इकाई द्वारा कहा गया कि संबन्धित विद्यालयों की मान्यता पत्रावलियों की जांच कर आख्या प्रेषित की जाएगी।

अतः आवश्यक मानकों की अनदेखी कर अधोमानक आधारभूत संरचनाओं के आधार पर ही विद्यालयों की मान्यता हेतु संस्तुति किए जाने का प्रकरण प्रकाश में लाया जाता है।

प्रस्तर-3- उप शिक्षा अधिकारी द्वारा नियमो तथा दायित्वों का अनुपालन न किया जाना

शिक्षा विभाग के ज्ञाप संख्या xxiv-2/2012-6(3)/2012 दिनांक 09-10-2012 के अनुसार उप शिक्षा अधिकारी के निम्न कार्य एवं दायित्व आवंटित किये गये जैसे विकास खण्ड स्तर पर समस्त संकुल केन्द्रों का supervision नियमित करना | विकास खण्ड के अंन्तर्गत प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के निर्माण कार्यो की quality report तैयार करना तथा विकास खण्ड में स्थित विद्यालयों के भवनों का सत्यापन एवं भवन निर्माण कार्यो की प्रगति report उच्च अधिकारियों को प्रेषित करना एवं परियोजनाओं से संबंधित बी० आर० सी० के कार्यो का अनुश्रवण करना।

इस सम्बन्ध में लेखा परीक्षा द्वारा विभाग से पूछा गया कि कृपया अवगत कराये कि वर्ष 2015-16, 2016-2017 एवं 2017-18 में कितने संकुल केन्द्रों का भौतिक सत्यापन किया गया, कितने निर्माण कार्यो की quality report तैयार करायी गयी एवं परियोजनाओं से संबंधित कितने बी०आर०सी०के कार्यो का अनुश्रवण किया गया और यदि विभाग द्वारा उपरोक्त कार्यों से संबंधित कोई रिपोर्ट /क्वालिटी रिपोर्ट या कोई अनुश्रवण किया गया हो तो उसकी आख्या प्रस्तुत करे यदि नही तो सत्यापन न किये जाने का कारण स्पष्ट करे।

विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि कार्यालय में कागज पत्र अस्त व्यस्त होने के कारण संबंधित पत्रावलियों नहीं मिल पा रही है जैसे ही उपरोक्त कागज पत्र उपलब्ध हो जायेगें कार्यालय प्रधान मनहालेखाकार (लेखापरीक्षा) को अवगत करा दिया जायेगा। विभाग का उत्तर मान्य नही है क्योंकि शिक्षा विभाग के ज्ञाप संख्या xxiv-2/2012-6(3)/2012 दिनांक 09-10-2012 में स्पष्ट लिखा गया है कि उप शिक्षा अधिकारी को सौंपे गये कार्यों का अनुपालन करना तथा उच्चाधिकारियों की notice में लाना अनिवार्य है जिसका विभाग द्वारा कोई अनुपालन नही किया गया। अतः प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

(i) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II'ब' प्रस्तर संख्या	अनुपूरक नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|			

(ii) विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन सं०	प्रस्तरसंख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई की प्रथम लेखा परीक्षा हैं|				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

-शून्य-

<u>आभार</u>

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी रामनगर जनपद नैनीताल तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः

(i) कार्य एवं दायित्व से संबंधित अभिलेख

1. सतत् अनियमितताएः

(i) शून्य

2. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया|**

क्रम सं0	**अधिकारी का नाम**	**पदनाम**	**कार्यरत अवधि**	
1	श्री गोपाल राम आर्या	खण्ड शिक्षा अधिकारी	नवम्बर से 2012	03.02.2013
2	श्री एम0सी0 पाठक	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	04.02.2013	30.03.2013
3	श्री आशा राम निराला	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	31.03.2013	05.04.2013
4	श्री हरक राम कोहली	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	06.04.2013	22.04.2013
5	श्री अशोक कुमार वर्मा	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	23.04.2013	09.04.2014
6	श्री सुरेन्द्र प्रताप भारती	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	09.04.2014	12.01.2015
7	श्री अशोक कुमार मिश्रा	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	12.01.2015	27.01.2015
8	श्री उर्वा दत्त पाण्डेय	खण्ड शिक्षा अधिकारी	27.01.2015	16.07.2015
9	श्री सुरेन्द्र प्रताप भारती	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	16.07.2015	01.09.2015
10	श्री आशा राम निराला	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	02.09.2015	18.10.2015
11	उर्बा दत्त पाण्डे	खण्ड शिक्षा अधिकारी	18.10.2015	20.11.2015
12	श्री आशा राम निराला	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	20.11.2015	11.02.2016
13	श्री बी0 एन0 पाण्डे	प्रभारी खण्ड शिक्षा अधिकारी	11.02.2016	10.11.2016
14	श्रीमती निर्मला बोहरा	खण्ड शिक्षा अधिकारी	11.11.2016	31.03.2017
15	श्रीमती गौरा बंगारी	उप शिक्षा अधिकारी	01.04.2017	31.01.2018
16	श्रीमती निर्मला बोहरा	खण्ड शिक्षा अधिकारी	01.02.2018	11.06.2018
17	श्रीमती वन्दना रौतेला	उप शिक्षा अधिकारी	12.06.2018	अद्यतन

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय उप-शिक्षा अधिकारी रामनगर जनपद नैनीताल को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार सामाजिक क्षेत्र (संबंधित क्षेत्र का नाम) कार्यालय प्रधान महालेखाकर(ले°प°) उत्तराखंड महालेखाकार भवन कौलागढ़ देहारादून-248195 को प्रेषित करना सुनिशित करे |

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.